

**न्यायालय:-व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर के अतिरिक्त व्यवहार  
न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)  
(पीठासीन अधिकारी:-सिराज अली)**

व्य.वाद क्र.-44ए/2013

संस्थित दिनांक-18.07.2013

फाई.क्र.234503003862013

अशोक मसराम पिता भैयालाल, उम्र-40 वर्ष, जाति गोंड,  
निवासी-ग्राम बरवाही, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - वादी

**बनाम**

1-दशराथ लाल पिता तीजूलाल, उम्र-50 वर्ष, जाति महार,  
निवासी-ग्राम बरवाही, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

2-मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, बालाघाट  
जिला बालाघाट(म.प्र.)

- - - - - प्रतिवादीगण

**-: / / निर्णय / /:-**

**(आज दिनांक-31/07/2015 को घोषित)**

1- वादी ने यह व्यवहार वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण के विरुद्ध मौजा बरवाही प.ह.नं. 21/38 रा.नि.मं. व तहसील बैहर, जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर 57/4, रकबा 1.75 एकड़/0.708 हेक्टेअर भूमि (जिसे आगे विवादित भूमि से संबोधित किया जाएगा) पर विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व प्राप्त होने की घोषणा एवं संशोधन पंजी प्रभावशून्य कर राजस्व अभिलेख से प्रतिवादी क्रमांक-1 का नाम विलोपित कर स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी क्रमांक-1 ने वादी के विरुद्ध प्रतिदावा प्रस्तुत कर उक्त विवादित भूमि पर उसके आधिपत्य में वादी के द्वारा हस्तक्षेप करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा चाही है।

2- प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य कुछ नहीं है।

3- वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि वर्ष 1975 में वादी के पिता को भूमिहीन होने के कारण नरसिंहपुर भू-दान यज्ञ मण्डल द्वारा कास्त हेतु दी गई थी, तब से वादी का पिता अपने जीवन पर्यन्त तथा उसकी मृत्यु के पश्चात् वादी उक्त भूमि को बे-रोकटोक मालिक काबिज होकर कास्त करते चला आ रहा है।

वादी का विवादित भूमि पर काबिज कास्त होने के संबंध में प्रतिवादी क्रमांक-1 व समस्त ग्राम वासियों की जानकारी में रहा है तथा उस भूमि पर प्रतिवादी के द्वारा कभी भी कब्जा करने का प्रयास नहीं किया गया है और न ही वादी को कास्त करने से मना किया गया है। वादी ने विवादित भूमि पर कब्जे के आधार पर ग्राम पंचायत में नाम दर्ज कराने का आवेदन दिए जाने पर दस्तावेज प्राप्त होने पर यह जानकारी हुई कि विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में प्रतिवादी का नाम दर्ज है। प्रतिवादी ने चोरी छुपे विवादित भूमि पर राजस्व कर्मचारी से मिलकर अवैध रूप से अपना नाम दर्ज कराया है। विवादित भूमि पर वादी 20-30 वर्षों से प्रतिवादी के ज्ञान में शांतिपूर्वक बे-रोकटोक काबिज कास्त चला आ रहा है, जिसके आधार पर उसे स्वत्व प्राप्त हो चुका है। प्रतिवादी क्रमांक-1 विवादित भूमि पर उसका नाम होने का फायदा उठाकर वादी को बेदखल कर सकता है। वादी ने विवादित भूमि पर विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व प्राप्त होने व संशोधन पंजी को प्रभावशून्य घोषित करने के अनुतोष के साथ स्थाई निषेधाज्ञा का भी अनुतोष चाहा है।

4- प्रतिवादी क्रमांक-1 ने जवाबदावा एवं प्रतिदावा प्रस्तुत कर वादपत्र के संपूर्ण अभिवचन से इंकार करते हुए अभिवचन किया है कि वर्ष 1987 में कवडू वल्द कज्जा द्वारा म.प्र. भू-दान यज्ञ बोर्ड को खसरा नंबर 57/2 में से भूमि दान किये जाने के पश्चात् म.प्र. भू-दान यज्ञ बोर्ड द्वारा प्रतिवादी क्रमांक-1 को भूमिहीन व निर्धन व्यक्ति होने के कारण खसरा नंबर 57/2 में 1.75 एकड़ भूमि आवंटित किये जाने हेतु विधिवत् कार्यवाही कर सक्षम अधिकारी द्वारा पट्टा जारी किया गया है। दिनांक-12.12.1987 को राजस्व अभिलेख दुरुस्त कर विवादित भूमि का पट्टा आवंटित होने के पश्चात् उक्त भूमि पर वर्तमान तक प्रतिवादी क्रमांक-1 का शांतिपूर्वक स्वत्व व आधिपत्य चला आ रहा है। वादी ने 5-6 वर्ष पूर्व से प्रतिवादी की विवादित भूमि को अन्य व्यक्ति के साथ अधिया-बटाई में कास्त किया था। शासन की योजना से लाभांशित होने के लिए प्रतिवादी क्रमांक-1 ने अपनी भूमि का सीमांकन करवाया है, जिस दौरान राजस्व कर्मचारी से मेलजोल कर विवादित भूमि की सीमांकन कार्यवाही में फिल्ड बुक में वादी ने अपना नाम दर्ज करवाया है। वादी ने विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख के संशोधन को अपास्त कराने हेतु राजस्व न्यायालय में प्रकरण पेश किया है, जो निरस्त हो चुका है। प्रतिवादी को उसके स्वत्व व आधिपत्य की भूमि में वादी द्वारा

हस्तक्षेप करने की आशंका है। प्रतिवादी क्रमांक-1 ने वादी का वाद सव्यय निरस्त कर विवादित भूमि पर हस्तक्षेप करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है।

5- प्रतिवादी क्रमांक-2 ने जवाबदावा पेश नहीं किया है तथा वह प्रकरण में एकपक्षीय हैं।

6- वादी ने प्रतिवादी क्रमांक-1 के प्रतिदावा के लिखित कथन में प्रतिदावा के कथनों को अस्वीकार करते हुए अभिवचन किया है कि प्रतिवादी क्रमांक-1 ने मनगढ़ंत तथ्यों पर झूठा प्रतिदावा पेश किया है। प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा कभी भी विवादित भूमि पर वादी को कास्त करने से मना नहीं किया गया है। प्रतिवादी क्रमांक-1 ने विधि विरुद्ध तरीके से वादी के आधिपत्य की भूमि के राजस्व अभिलेख में अपना नाम दर्ज करा लिया है। अतएव प्रतिवादी का प्रतिदावा निरस्त किया जावे।

7- उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित वादप्रश्न विरचित किये गये, जिनके निष्कर्ष उनके समक्ष निम्नानुसार अंकित है :-

क्रं.	वाद-प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या मौजा बरवाही प.ह.नं. 21/38, रा.नि.मं. एवं तहसील बैहर, जिला बालाघाट स्थित खसरा नंबर 57/2, रकबा 1.75/0.708 हेक्टेअर भूमि पर वादी का निरंतर, शांतिपूर्ण व लम्बे समय से विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व परिपक्व हो गया है ?	प्रमाणित नहीं
2	क्या उक्त विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है ?	प्रमाणित नहीं
3	सहायता एवं व्यय ?	निर्णय की अंतिम कंडिका अनुसार
4	क्या प्रतिवादी क्रमांक-1 के स्वत्व व आधिपत्य की मौजा बरवाही प.ह.नं. 21/38, रा.नि.मं. एवं तहसील बैहर, जिला बालाघाट स्थित खसरा नं. 57/4 रकबा 1.75 हेक्टेअर भूमि पर वादी के द्वारा हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है ?	प्रमाणित नहीं

**—:: सकारण निष्कर्ष ::—****वादप्रश्न क्रमांक-1 का निराकरण**

8— यह साबित करने का भार वादी पर है कि विवादित भूमि पर उसका विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व प्राप्त हो चुका है। वादी ने अपने समर्थन में संशोधन पंजी क्रमांक-16, दिनांक-12.12.1987 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-3 पेश किया है, जिसमें यह लेख है कि खसरा नंबर 57/2 में से रकबा 1.75 एकड़ भूमि भू-दान यज्ञ बोर्ड भोपाल का पट्टा क्रमांक-1025/4874, दिनांक-05.10.1987 के अनुसार प्रतिवादी दशरथ को दिए जाने के कारण प्रतिवादी दशरथ का नाम अभिलेख में दर्ज कर दुरुस्त किया जावे। इसके अलावा राजस्व निरीक्षक भण्डेरी द्वारा तहसीलदार बैहर के समक्ष प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन व पंचनामा, नक्शा, पांचशाला खसरा फार्म की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-4 लगायत प्रदर्श पी-7 पेश की गई है, जिसमें विवादित भूमि खसरा नंबर 57/4 रकबा 1.75 एकड़ भूमि में दशरथ का नाम भू-स्वामी के रूप में दर्ज होना तथा उक्त भूमि पर फूलसिंह का 0.75 एकड़ भूमि पर तथा वादी अशोक का 1.00 एकड़ भूमि पर कब्जा होकर धान की फसल लगाया जाना लेख है।

9— प्रतिवादी क्रमांक-1 ने अपने पक्ष समर्थन में म.प्र. भू दान यज्ञ बोर्ड भोपाल का पट्टा दिनांक-05.10.87 प्रदर्श पी-डी-1 पेश किया है, जिसमें खसरा नंबर 57/2 क्षेत्रफल 1.75 एकड़ भूमि प्रतिवादी दशरथलाल को प्रदान किये जाने का लेख है। इसके अलावा विवादित भूमि खसरा नंबर 57/4 रकबा 0.708 हेक्टेअर भूमि का खसरा फार्म एवं किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2012-13 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी-3 एवं प्रदर्श डी-4 पेश की गई है, जिसमें उक्त भूमि पर प्रतिवादी दशरथलाल का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज होना प्रकट होता है। अनुविभागीय अधिकारी बैहर के द्वारा राजस्व अपील में पारित आदेश दिनांक-31.05.13 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी-5 पेश है, जिसमें वादी अशोक के द्वारा प्रतिवादी दशरथ का नाम विवादित भूमि में पट्टे के आधार पर दर्ज होकर अभिलेख दुरुस्ती को चुनौती दी गई थी, जिसे उक्त आदेश के अनुसार निरस्त किया गया है। इसके अलावा विवादित भूमि की अधिकार एवं ऋण पुस्तिका प्रदर्श पी-6 में भी प्रतिवादी दशरथ का नाम उल्लेखित होना प्रकट होता है। इस प्रकार उभयपक्ष के द्वारा प्रस्तुत उक्त दस्तावेजी साक्ष्य से विवादित भूमि का दस्तावेजी स्वामी प्रतिवादी दशरथलाल होना प्रकट होता है।



10— वादी अशोक (वा.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र में अभिवचन के अनुरूप कथन किये हैं तथा प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके पास भू-दान यज्ञ बोर्ड के द्वारा दिया गया कोई पट्टा नहीं है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि विवादित भूमि भू-दान यज्ञ मण्डल नरसिंहपुर की है, किन्तु इस प्रकरण में भू-दान यज्ञ मण्डल नरसिंहपुर को पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादी ने अपने अभिवचन में उसे भू-दान यज्ञ मण्डल के द्वारा विवादित भूमि का पट्टा दिया जाना बताया है, जबकि वादी अशोक (वा.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण में अभिवचन एवं मुख्यपरीक्षण के कथन से हटकर भू-दान यज्ञ बोर्ड के द्वारा पट्टा नहीं दिया जाना स्वीकार किया है। वादी ने प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से विवादित भूमि पर प्रतिवादी दशरथलाल के स्वत्व प्राप्त होने के राजस्व अभिलेख पेश किये हैं, किन्तु अपने अभिवचन व साक्ष्य में उक्त के विपरीत स्वयं का विवादित भूमि पर कथित पट्टा प्राप्त होने के आधार पर स्वत्व का दावा किया है, जो असत्य व मनगढ़ंत होना प्रकट होता है।

11— प्रतिवादी दशरथलाल (प्र.सा.1) ने अपने मुख्यपरीक्षण में अभिवचन के अनुरूप कथन किया है तथा प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव से इंकार किया है कि अशोक 20-25 वर्षों से वादग्रस्त भूमि पर कास्त करता चला आ रहा है। साक्षी का स्वतः कथन है कि अशोक विवादित भूमि को अधिया में लेकर कास्त करता है। यद्यपि प्रतिवादी ने अपनी साक्ष्य में विवादित भूमि पर वादी के कथित अधिया बटाईदार के रूप में कास्त करने के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य पेश नहीं की है, किन्तु उक्त कमी का वादी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि वादी को स्वयं के बल पर अपना वाद प्रमाणित करना होता है, वह वाद प्रमाणन हेतु प्रतिवादी की किसी कमी का लाभ नहीं ले सकता।

12— वादी के अभिवचन से यह स्पष्ट नहीं होता कि वादी ने विवादित भूमि पर विरोधी आधिपत्य का दावा किसे वास्तविक स्वामी माना है। विरोधी आधिपत्य का दावा भूमि के वास्तविक व दस्तावेजी स्वामी के विरुद्ध मांगा जा सकता है, किन्तु वादी के अभिवचन से यह निश्चित नहीं है कि वह स्वयं को विवादित भूमि का दस्तावेजी स्वामी मान रहा है या प्रतिवादी को दस्तावेजी स्वामी के रूप में स्वीकार कर रहा है। वादी साक्षी प्रेमसिंह (वा.सा.2) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया है कि गांव वालों ने विवादित भूमि को अशोक को कमाने के लिए दिया है। इस साक्षी ने वादी के

अभिवचन से हटकर नए तथ्य पेश करते हुए यह बताया है कि विवादित भूमि को गांववालों ने कमाने के लिए दिया है। इस प्रकार वादी साक्षीगण के कथन से यह स्पष्ट नहीं होता कि विवादित भूमि पर कथित विरोधी आधिपत्य का दावा किस वास्तविक स्वामी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

13— वादी साक्षी सुनउ (वा.सा.3) का प्रतिपरीक्षण में यह कथन है कि वादी अशोक वर्ष 1975 से विवादित भूमि कमा रहा है और उक्त भूमि भू-दान यज्ञ मण्डल ने अशोक को दिया था, जिसका उसके पास पट्टा भी है। साक्षी के उक्त कथन स्वयं वादी अशोक (वा.सा.1) के उक्त कथन से मेल नहीं खाते हैं, जिसमें उसने विवादित भूमि का कोई पट्टा न होना स्वीकार किया है। इसके अलावा साक्षी सुनउ (वा.सा.3) ने अशोक का वर्ष 1975 से विवादित भूमि पर काबिज कास्त होना बताया है, जबकि वादी अशोक ने स्वयं अपने वादपत्र एवं मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र में अपनी आयु 40 वर्ष बताया है। तात्पर्य यह है कि यदि वर्तमान में वादी की आयु 40 वर्ष है तो वर्ष 1975 में वादी की आयु एक या दो वर्ष की रही होगी और उक्त बाल्य अवस्था में वादी का विवादित भूमि पर काबिज कास्त बतलाया जाना साक्षी के कथन को अविश्वसनीय बना देता है। इस प्रकार वादी ने स्पष्ट एवं ठोस साक्ष्य के माध्यम से यह तथ्य प्रमाणित नहीं किया है कि वह विवादित भूमि पर किस दिनांक और किस प्रकार कथित आधिपत्य में आया और उसकी जानकारी प्रतिवादी को कब और किस प्रकार हुई।

14— वादी का दावा विवादित भूमि पर विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व प्राप्ति का है। इस संबंध में पर्याप्त अभिवचन और प्रमाण होना चाहिए कि किस अवधि से किस तारीख से वह आधिपत्य में है और ऐसा आधिपत्य निरन्तर है ऐसा आधिपत्य का खुले रूप से और दर्शनीय, एकमेव विरोधी और परिसीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 65 में दर्शायी अवधि का तथा वास्तविक स्वामी के ज्ञान में है। एकमेव आधिपत्य का भौतिक कृत्य विरोधी आधिपत्य के दावे के लिए न्यायसंगत नहीं होगा। वह व्यक्ति जो विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व परिपक्व करने का दावा करता है उसके पक्ष में साम्या नहीं होता है, यह वास्तविक स्वामी के अधिकारों को पराजित करने के समान होता है, इस कारण ऐसे व्यक्ति पर भारी प्रमाण भार होता है कि वह विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व प्रमाणित करे।

15— वादी ने अपने अभिवचन में यह स्पष्ट नहीं किया है कि विवादित भूमि पर कथित विरोधी आधिपत्य किस दिनांक से और किस प्रकार प्रारंभ हुआ। वादी को विवादित भूमि पर लगभग 30 वर्षों से लगातार आधिपत्य होना प्रकट किया है, किन्तु विवादित भूमि पर विरोधी आधिपत्य होने के संबंध में कब और कैसे वाद कारण उत्पन्न हुआ, इसका वादी ने स्पष्ट अभिवचन कर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। न्यायदृष्टान्त कर्नाटक बोर्ड ऑफ वक्फ विरुद्ध गव्हरमेंट ऑफ इंडिया एवं अन्य (2004) 10 एस.सी.सी.779 में माननीय उच्चतम न्यायालय का यह अभिमत है कि विरोधी आधिपत्य में न केवल विधि का अंतर्निहित प्रश्न है, बल्कि यह तथ्य एवं विधि का मिश्रित प्रश्न है। जो व्यक्ति विरोधी आधिपत्य का दावा करता है, उसे दिखाना होगा कि (अ) वह किस दिनांक को कब्जे में आया था, (ब) वह किस प्रकार काबिज है, (स) कब्जे के बाद उसकी जानकारी दूसरे पक्ष को कब हुई, (द) उसका कब्जा कितने समय से लगातार है, और (इ) उसका कब्जा खुले रूप से निर्बाध रहा है। विरोधी आधिपत्य का अभिवचन करने वाला व्यक्ति विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व की मांग साम्या के रूप में नहीं कर सकता। वह सम्पत्ति के वास्तविक स्वामी के अधिकार का हनन करने का प्रयत्न करता है। उक्त के प्रकाश में वादी ने अभिवचन में कथित विरोधी आधिपत्य के संबंध में वाद कारण स्पष्ट नहीं किया है।

16— न्यायदृष्टान्त पी. टी. मुनिचिक्कन्ना रेड्डी विरुद्ध रेवम्मा एवं अन्य ए.आई.आर. 2007 एस.सी. 1753 में माननीय उच्चतम न्यायालय का यह अभिमत है कि विरोधी आधिपत्य के प्रमाण हेतु यह आवश्यक है कि विरोधी आधिपत्यधारी का कब्जा विरोधी होने की युक्तियुक्त सूचना एवं अवसर दस्तावेजी स्वामी को पर्याप्त रूप से दी गई है। उक्त विधिक स्थिति के अनुरूप मामलों में वादी के द्वारा विवादित भूमि पर विरोधी आधिपत्य होने के संबंध में विवादित भूमि के दस्तावेजी स्वामी दशरथलाल को उसके जीवनकाल में युक्तियुक्त सूचना एवं अवसर दिए जाने का तथ्य पेश नहीं किया है।

17— परिसीमा अधिनियम 1963 के सुसंगत प्रावधान अनुच्छेद 64 के अंतर्गत स्थावर सम्पत्ति के लिए जो पूर्ववर्ती कब्जे के आधार पर हो और हक के आधार पर न हो, जबकि वादी सम्पत्ति पर कब्जा रखते हुए बेकब्जा कर दिया गया है तथा अनुच्छेद 65 के अंतर्गत हक के आधार पर स्थावर संपत्ति या उसमें के किसी हित के कब्जे के लिए विहित परिसीमा काल 12 वर्ष दी गई है। विधि द्वारा निर्धारित समय अवधि 12

वर्ष या उससे अधिक अवधि तक वास्तविक स्वामी के विरुद्ध निरन्तर व निर्बाध रूप से प्रतिकूल कब्जा से विरोधी आधिपत्यधारी अपना हक अर्जित कर लेता है। उक्त विधिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वादी ने वादपत्र में विवादित भूमि पर कथित विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व की घोषणा हेतु वाद कारण प्रकट नहीं किया है।

18— विधायिका की मंशा यह प्रतीत होती है कि उक्त विधिक उपबन्ध व कालावधि केवल प्रतिवादी के लिए अपने कब्जे व हित को संरक्षित रखने व बचाव पेश करने के लिए प्रदत्त की गई है, न कि वादी को उक्त विहित कालावधि से वाद प्रस्तुति हेतु कोई अधिकार प्रदत्त करने की। न्यायदृष्टांत— **Gurdwara Sahib v. Gram Panchayat Village Sirthala, (2014) 1 SCC 669** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व की घोषणा का दावा अनुमत योग्य नहीं है, बल्कि विरोधी आधिपत्य को ढाल या बचाव के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि वादी को उसका विरोधी आधिपत्य पाये जाने पर भी स्वत्व की घोषणा का अनुतोष नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार उक्त विधिक स्थिति के प्रकाश में वादपत्र में वाद कारण प्रकट न होने से तथा विरोधी आधिपत्य के आधार पर स्वत्व की घोषणा का वाद प्रचलनीय नहीं होने से वाद निरस्त किये जाने योग्य है।

19— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य एवं विधिक स्थिति की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि वादी ने यह प्रमाणित नहीं किया है कि उसका विवादित भूमि पर खुले रूप से लगातार 12 वर्ष से अधिक समय से, अबाध, शांतिपूर्ण प्रतिवादीगण की जानकारी में उसके स्वत्वों को नकारते हुए आधिपत्य चला आ रहा है। अतएव वादप्रश्न क्रमांक-1 “प्रमाणित नहीं” के रूप में निराकृत किया जाता है।

### वादप्रश्न क्रमांक-2 का निराकरण

20— यह साबित करने का भार वादी पर है कि विवादित भूमि पर उसके एकल आधिपत्य में प्रतिवादी क्रमांक-1 के द्वारा अवैध हस्तक्षेप किया जा रहा है। वादी ने संपूर्ण विवादित भूमि खसरा नंबर 57/4 के संपूर्ण रकबा 1.75 एकड़ भूमि पर आधिपत्य प्राप्त होने के आधार पर स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है। वादी ने राजस्व निरीक्षक भण्डेरी द्वारा तहसीलदार बैहर के समक्ष प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन व पंचनामा, नक्शा, पांचशाला खसरा फार्म की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-4 लगायत



प्रदर्श पी-7 पेश की गई है, जिसमें विवादित भूमि खसरा नंबर 57/4 रकबा 1.75 एकड़ भूमि में दशरथ का नाम भू-स्वामी के रूप में दर्ज होना तथा उक्त भूमि पर फूलसिंह का 0.75 एकड़ भूमि पर तथा वादी अशोक का 1.00 एकड़ भूमि पर कब्जा होकर धान की फसल लगाया जाना लेख है। इस प्रकार स्वयं वादी के दस्तावेज से ही इस तथ्य का खण्डन हो जाता है कि वादी का संपूर्ण विवादित भूमि पर आधिपत्य है, बल्कि उक्त दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि वादी के अलावा विवादित भूमि के 0.75 एकड़ रकबा पर फूलसिंह का कब्जा है।

21— प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से विवादित भूमि के किस भाग व चतुर्सीमा पर वादी का वास्तविक आधिपत्य है, यह सुनिश्चित नहीं है। यदि तर्क के लिए वादी का विवादित भूमि के 1.00 एकड़ पर आधिपत्य मान भी लिया जाए, तब भी वादी के अभिवचन एवं प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं होता है कि वादी विवादित भूमि के रकबा 1.75 एकड़ भूमि के किस ओर आधिपत्य में है। इस संबंध में वादी की ओर से अपने अभिवचन में स्पष्ट नजरीनक्शा या मानचित्र भी पेश नहीं किया गया है। यदि वादी संपूर्ण विवादित भूमि पर कथित हस्तक्षेप करने का अनुतोष की मांग कर रहा है तो इस संबंध में उसे अन्य कब्जेदार कथित फूलसिंह को भी पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था। इस प्रकार वादी ने स्वच्छ हाथों से वाद पेश नहीं करने के कारण यह तथ्य साबित नहीं होता कि उसके आधिपत्य में प्रतिवादी दशरथलाल के द्वारा अवैध हस्तक्षेप किया जा रहा है। अतएव वादप्रश्न क्रमांक-2 “प्रमाणित नहीं” के रूप में निराकृत किया जाता है।

#### **वादप्रश्न क्रमांक-4 का निराकरण**

22— यह साबित करने का भार प्रतिवादी क्रमांक-1 पर है कि विवादित भूमि पर उसके आधिपत्य में वादी के द्वारा अवैध हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रतिवादी दशरथलाल (प्र.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि विवादित भूमि पर वादी अधिया-बटाईदार के रूप में काश्त करता था, किन्तु साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि अशोक ने अधिया की कोई फसल आज तक नहीं दिया है। उक्त तथ्य से यह अधिसंभावना प्रकट होती है कि यदि प्रतिवादी के द्वारा अपनी भूमि को बटाई से वादी को दिया गया होता तो स्वाभाविक रूप से बटाई की फसल का भाग वादी के द्वारा प्रतिवादी को प्रदान किया जाता। इस प्रकार विवादित भूमि प्रतिवादी

के द्वारा वादी को अधिया-बटाई में दिए जाने के संबंध में विश्वसनीय साक्ष्य पेश नहीं है।

23— यह भी उल्लेखनीय है कि राजस्व निरीक्षक भण्डेरी द्वारा तहसीलदार बैहर के समक्ष प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन व पंचनामा, नक्शा, पांचशाला खसरा फार्म की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-4 लगायत प्रदर्श पी-7 में विवादित भूमि पर फूलसिंह का 0.75 एकड़ भूमि पर तथा वादी अशोक का 1.00 एकड़ भूमि पर कब्जा होकर धान की फसल लगाया जाना लेख है। ऐसी दशा में विवादित भूमि पर वादी अशोक के अलावा अन्य व्यक्ति फूलसिंह का कब्जा होना प्रकट होता है, जबकि फूलसिंह को वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है।

24— प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से यह अधिसंभावना प्रकट होती है कि विवादित भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक-1 का आधिपत्य नहीं है। ऐसी दशा में प्रतिवादी क्रमांक-1 के विवादित भूमि पर आधिपत्य प्रमाणित न होने से वादी का प्रतिवादी के आधिपत्य में कथित हस्तक्षेप किये जाने का तथ्य भी प्रमाणित नहीं होता है। अतएव वादप्रश्न क्रमांक-4 "प्रमाणित नहीं" के रूप में निराकृत किया जाता है।

### **सहायता एवं व्यय**

25— वादी ने अपना वाद तथा प्रतिवादी क्रमांक-1 ने प्रतिदावा प्रमाणित नहीं किया है। अतएव वाद में निम्नानुसार आज्ञाप्ति पारित की जाती है :-

- (1) वादी का वाद निरस्त किया जाता है।
- (2) प्रतिवादी क्रमांक-1 का प्रतिदावा निरस्त किया जाता है।
- (3) उभयपक्ष अपना-अपना वाद व्यय वहन करेंगे तथा अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार देय होगी।

उपरोक्तानुसार आज्ञाप्ति तैयार की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

**(सिराज अली)**

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के  
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,  
बैहर

**(सिराज अली)**

व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, बैहर के  
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2,  
बैहर